प्रेषक,
जिला बेसिक शिक्षाधिकारी
रायबरेली।

सेवा में,
प्रबन्धक
सरस्वती विद्या मन्दिर सिधुला

रायबरेली। 219-225
पत्रांक शि0लि01/ /87-88 दिनांक 30.12.87
विषय :-विद्यालय के जू0हा0स्कूल स्तर तक की अस्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध मे :-

महोदय,
आपके आवेदन पत्र के सन्दर्भ मे तथा राजाज्ञा 15-6-12121/21 दिनांक 11-12-84 के अन्तर्गत जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक 8.12.87 के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 87-88, 88-89 तथा 89-90 तक लिये विद्यालय 1तीन वर्षो के निमित्त अस्थायी मान्यता निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है। वर्ष 89-90 के उपरान्त विद्यालय की अस्थायी मान्यता की अवधि मे कोई वृध्दि नही की जायगी। अतः आप उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर मान्यता सम्बन्धी सभी प्रतिबन्धो की पूर्ति करके स्थायी मान्यता प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित करे अन्यथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के अधिकारियो का होगा।

1-सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1960 के अनुसार संस्था के पंजीकरण का नवीनीकरण करादे।

2-विद्यालय के प्रतिभूति कोष के अन्तर्गत 2500-00 नकद उनका सम्प्रति विद्यालय के नाम रजिस्टर्ड दाखिल कराकर मूल्यांकन एवं वार्षिक आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र माल अधिकारी द्वारा प्राप्त करके प्रस्तुत करे। यदि संदान नकद धनराशि के रूप मे है तो उसे जिला बेसिक ~~अधिकारी~~ शिक्षा अधिकारी के पद नाम से बन्धक करें यदि यह अचल सम्पत्ति के रूप मे है तो एकावधि पत्र प्रस्तुत करे निरीक्षण अधिकारी के पूर्ण अनुमति के न तो गिरवी रखी जायगी और न स्थानान्तरण की जायगी वार्षिक आय को विद्यालय मे प्रतिवर्ष जमा करने का उल्लेख भी शपथ पत्र मे करें।

3-सुरक्षित कोष एक हजार रुपया नकद ~~क~~ सावधि जमा पत्र के रूप मे जमा करें जिला बेसिक शिक्षाधिकारी रायबरेली के पद नाम से बन्धक होना चाहिये।

4-प्रत्येक वर्ग के लिये 25x20 आधार के तथा 30x20 आकार का विज्ञान और कृषि वैकल्पिक विषयो तथा प्रधानाध्यापक और कार्यालय के लिये पृथक पृथक मूत्रालय और शौचालय की व्यवस्था की जाय। जाति व धर्म के नाम से पंजीकृत संस्था के नामों मे परिवर्तन किया जाय।

5-खेलकूद के मैदान के लिये 5-एक एकड़ भूमि की रजिस्ट्री विद्यालय के नाम हो।

6-500-00 रु0 की मूल्य की पुस्तो की व्यवस्था पुस्तकालय मे की जाय। विज्ञान सामग्री काष्टोपकरण को व्यवस्था करे अमान्य पुस्तको का प्रयोग न करे प्रशिक्षित अध्यापको की नियुक्ति करे साथ ही बच्चो सेवा क्ल निर्धारित ही ली जाय। कर्मचारियो को वेतन निर्धारित वेतनक्रमानुसार देना होगा। अन्य शर्तो की पूर्ति भी सु... की जाय।

उक्त प्रतिबन्धो का उल्लंघन करने पर किसी भी समय मान्यता समाप्त की जा सकती है।

जिला बेसिक शिक्षाधिकारी
रायबरेली।

पृ0संख्या शि0लि01/ 219-225/87-88 दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि- निम्नांकित अधिकारियो को सेवा मे सूचनार्थ / आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।
1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक षष्ट मण्डल लखनऊ।
2- जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी रायबरेली।
3-जिला विद्यालय निरीक्षक रायबरेली।
4-उप विद्यालय निरीक्षक रायबरेली।
5-प्रति उप विद्यालय निरीक्षक सम्बन्धित।

जिला बेसिक शिक्षाधिकारी
रायबरेली।